लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2626

06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुनकरों का कल्याण

2626. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बुनकरों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समय पर समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो कल्याण योजनाओं की समीक्षा कब तक समाप्त होगी और बुनकरों की योजना की समीक्षा के प्रमुख बिंदु क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बुनकरों के लिए योजनाओं के सुधार हेतु समीक्षा किए गए प्रमुख बिंदुओं के आधार पर कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय ने पूरे देश के हथकरघा बुनकरों हेतु कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन कराया है। योजनाओं के तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययनों में हथकरघा बुनकरों के कार्य दिवसों, उत्पादकता तथा मजदूरियों में बढ़ोतरी का खुलासा किया गया है। मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा यदि कोई उपयुक्त सुझाव दिए जाते हैं, तो उन्हें योजनाओं में आगे सुधार हेतु शामिल किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार पिछले दो वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जा रहे हैं:

1) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
2) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
3) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****